

Bihar Administrative Service Association

Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001

President
R. N. Prasad
General Secretary
S. B. Verma



Truth Will Triumph

Vice President
Devi Dayal
Ehsan Ahmad
Treasurer
Baidyanath Prasad

प्रेषक,

शाशि भूषण वर्मा, / कमला प्रसाद सिंह
महासचिव, / महासचिव
बि०प्र०से०संघ / बिहार आरक्षी सेवा संघ

सेवामें,

श्री भी०एस०टूबे,

बित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।

विषय:-केन्द्र सरकार द्वारा पंचम वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा गठित फिटमेंट कमिटी के टर्मस ऑफ रेफरेंस में बि.प्र.से. एवं बि.आ.से. के वेतनमान के विनिश्चय के संबंध में ।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा, पंचम वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् उनके कर्मियों को प्रदत्त वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने की अधिसूचना निर्गत कर दिए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने हू-बहू वही सिद्धान्त इस राज्य के कर्मियों के लिए भी स्वीकार कर लिया है । केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक फिटमेंट कमिटी का गठन किया है जिसे दो माह में प्रतिवेदन देने का निर्देश हुआ है ।

2. राज्य सरकार के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार आरक्षी सेवा संघों की जो बार्ता हुई थी उसमें हमारी ओर से यह विस्तार से स्पष्ट किया गया था कि किन परिस्थितियों में अन्य राज्य सेवाओं से उच्चतर वेतनमान बिहार प्रशासनिक एवं आरक्षी सेवाओं को स्वीकृत किया गया था । बार्ता के क्रम में बित्त आयुक्त के अलावे अपर बित्त आयुक्त श्री एस. बिजय राघवन भी उपस्थित थे । राज्य सरकार ने तब यह निर्णय लिया था कि श्री बिजय राघवन की अध्यक्षता में एक फिटमेंट कमिटी गठित करेगी जो अपनी

Bihar Administrative Service Association
Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001



Truth Will Triumph

President
R. N. Prasad
General Secretary
S. B. Verma

Vice President
Devi Dayal
Ehsan Ahmad
Treasurer
Baidyanath Prasad

-2-

अनुशांता देते समय प्रशासनिक/ आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को वर्तमान में स्वीकृत वेतनमान की पुष्टभूमि/तथ्यों तथा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ/ बिहार आरक्षी सेवा संघ द्वारा उदघाटित तथ्यों को मद्देनजर रखेगी। बाट में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि फिटमेंट कमिटी की अध्यक्षता श्री तरब अली करेंगे। फिटमेंट कमिटी के अध्यक्ष बदले जाने के कलस्वरूप हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि बार्ता के क्रम में चर्चित बिन्दुओं को औषचारिक/ लिखित रूप से सरकारी अभिलेख में ला दिया जाये ताकि फिटमेंट कमिटी के गठन के टर्मस ऑफ रेफरेंस में ही स्पष्ट रूप से बिहार प्रशासनिक/आरक्षी सेवा की अर्द्धमानता उल्लिखित कर दी जाए।

3. हमारे संघ, मंत्रिमंडलीय उपसमिति के माननीय सदस्यों तथा माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिनांक 21.11.1997 को हुई बार्ता में यह तथ हुआ था कि बस्तुनिष्ठ। कारणों से बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार आरक्षी सेवा को पूर्व से स्वीकृत वेतनमान में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कहना नहीं होगा कि वर्ष तक तत्कालीन बिहार अस्तैनिक सेवा को मूल कोटि के वेतनमान का अंतिम चरण अन्य सेवाओं से 60/- साठ रुपया अधिक था-320-985/-। हमारी सेवा की प्रकृति तब उसके सदस्यों पर आसन्न खतरे को सरकार ने हमेशा अहमियत दी है। अन्य राज्यों में प्रान्तीय प्रशासनिक तथा आरक्षी सेवा को जो वेतनमान 1986 तक स्वीकृत किया गया था, उसके मद्देनजर ही बिहार राज्य में हमारी सेवाओं का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया था। विभिन्न राज्यों में चतुर्थ केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को स्वीकृत वेतनमान, यथा नीचे उद्धृत, के अवलोकन से स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी।

Bihar Administrative Service Association

Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001



Truth Will Triumph

President
R. N. Prasad
General Secretary
S. B. Verma

Vice President
Devi Dayal
Ehsan Ahmad
Treasurer
Baidyanath Prasad

-3-

क्रमांक	राज्य	बैसिक ग्रेड का वेतनमान	कनीय प्रवर कोटि	बरीय प्रवर कोटि	अन्य उच्च कोटि
1.	कर्नाटक	2450-4150	3650-4950	4070-5025	-
2.	आन्ध्रप्रदेश	3110-6380	3880-8140	6040-8700	-
3.	गोवा	2200-4000	3000-4500	3700-5000	-
4.	उत्तरप्रदेश	2200-4000	3000-4500	3700-5000	1114500-5700 1115100-5700 1115900-6700 1117300-7600
5.	प. बंगाल	2200-4000	3000-4500	3700-5000	1114500-6000 1115900-6700
6.	पंजाब	2200-4000	3000-4500	4125-5600	-
7.	हरियाणा	2200-4000	3000-4500	4100-5300	-
8.	हि. प्रदेश	2200-4000	3000-4500	4125-5600	-
9.	राजस्थान	2200-4000	3000-4500	3500-5000	4500-5700
10.	नागालैण्ड	2200-4000	2900-4900	3500-5600	4000-5900
11.	मिजोरम	2200-4000	3000-4500	3700-5000	1114500-5700 1115100-6150
12.	बिहार	2200-4000	3000-4500	3700-5000	1114100-5300 1114500-5700 1115100-6300

4. अन्य राज्यों में भी सदृश वेतनमान 1.1.86 से लागू है। उपर की तालिका में बरीय प्रवर कोटि के उपर की कोटि में जहाँ कोई वेतनमान दर्शाया हुआ नहीं है, वहाँ लोग उक्त कोटि के पूर्व ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हो जाते हैं।

Bihar Administrative Service Association

Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001



Truth Will Triumph

President
R. N. Prasad
General Secretary
S. B. Verma

Vice President
Devi Dayal
Ehsan Ahmad
Treasurer
Baidyanath Prasad

-4-

5. ज्ञातव्य हो कि केन्द्र की पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति ने दिल्ली एवं अडमान निकोबार तथा पांडिचेरी सिबिल सर्विस एवं पुलिस सर्विस के लिए स्वीकृत वेतनमान निम्न प्रकार है :-

III 2200-4000	दृष्टव्य केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट की कंडिका संख्या-49. 14
IIII 3000-4500	
IIIII 3700-5000	
IIII/ 4500-5700	

6. यहाँ मैं यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन ने 1. 1. 96 के प्रभाव से अपने कर्मियों के वेतनमान का निर्धारण केन्द्र सरकार की भाँति कर दिया है। इस निमित्त निर्गत उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-ब. म. नि.-356/दस-22/एम।/97 दिनांक 30 दिसम्बर, 97 की छायाप्रति संलग्न की जाती है। इसके अनुसार राज्य कर्मियों के निम्नांकित संगत वेतनमान उद्घृत किए जाते हैं :-

वेतन क्र. सं.	1. 1. 96 के पूर्व का वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
		दिनांक 1. 1. 96 से प्रभावी
22-	2200-75-2800-द. रो. - 100-4000	
23-	2350-75-2800-द. रो. - 100-4000	8000-275-13500
24-	2275-75-2800-द. रो. - 100-4100	
27-	3000-100-3500-125-4500	
28-	3000-100-3500-125-4750	10000-325-15200
29-	3000-100-3500-125-5000	
31-	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500

Bihar Administrative Service Association

Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001



Truth Will Triumph

President
R. N. Prasad
General Secretary
S. B. Verma


Vice President
Devi Dayal
Ehsan Ahmad
Treasurer
Baidyanath Prasad


-5-

32-	4100-125-4850-150-5300	14300-400-18300
33-	4500-150-5700	
34-	5100-150-5700	
35-	5100-150-6150	16400-450-20,000
36-	5100-150-5700-200-6300	

7. इस तरह स्पष्ट है कि हमारी सेवा को 1986 के बाद स्वीकृत मान भूलबशा त्रुटिपूर्ण, दबाव में लिया गया निर्णय, अन्य राज्य सेवाओं के साथ भेदभाव या अनुग्रह नहीं था बल्कि तथ्यों पर आधारित, सुबिचारित तथा अन्य राज्यों में स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप था, अतः इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोध है कि इस तथ्य को समिति के टर्म ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

इस पत्र की प्रतिलिपि मंत्रिमंडलीय उच्च समिति के माननीय सदस्यों एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दी जा रही है।



21/1/98
। कमला प्रसाद सिंह ।
महासचिव,

विश्वासभाजन,

। शशि भूषण वर्मा ।
महासचिव,

बिहार पुलिस सेवा संघ, बिहार ।
ज्ञापक- 3

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार, पटना
दिनांक 7-1-98

प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्री, योजना विभाग श्री तुलसी सिंह/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग श्री जगतानन्द/माननीय मंत्री, वित्त श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल को सूचनार्थ प्रेषित।


। शशि भूषण वर्मा ।
महासचिव,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार, पटना